

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- F2(8)/Comp/2015-16/ST-142/ 476.

दिनांक :- 21/3/15

## परिपत्र

विषय :- सेवाकर की दरों के संबंध में।


मण्डल के सेवाकर सलाहकार से प्राप्त सलाह के अनुसार मण्डल द्वारा किराया क्रय पद्धति, नकद भुगतान पद्धति, स्ववित्त पोषित योजना एवं नीलामी के जरिये आवंटित/बिक्रीत आवासों, व्यावसायिक भूखण्ड एवं निर्मित दुकानों के आवंटन पत्र में लिये जाने वाले Ancillary Service Charge, Legal Charges, Cost of Maps & Misc. Charges एवं किराये/लीज पर दिये जाने वाले व्यावसायिक भूखण्ड/भवन पर लिए जाने वाले सेवाकर की दरें दिनांक 01.06.2015<sup>से</sup> निम्नानुसार प्रभावी होगी:-

क्र.सं.	मद	सेवाकर दर
1.	Ancillary Service Charges	14%
2.	Legal Charges	14%
3.	Cost of Maps	14%
4.	Misc. Charges	14%
5.	Renting/Leasing of Commercial Properties	14%

ह.०  
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. लेखाधिकारी (भुगतान), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल, वृत्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर/उदयपुर/ जोधपुर वृत्त प्रथम, द्वितीय/कोटा/अलवर/बीकानेर।
5. समस्त आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, .....
6. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), राजस्थान आवासन मण्डल को संबंधित के ई-मेल एवं बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

  
उप-वित्तीय सलाहकार